



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
परीक्षा विभाग

क्रमांक : एफ. 05 / वमखुवि / परीक्षा / 2023 / 481

दिनांक 07.01.2023

कार्यालय-आदेश


विद्या परिषद की 66वीं बैठक के बिन्दु संख्या 66/14 पर प्रबन्ध मण्डल की 103वीं बैठक के बिन्दु संख्या 103/03 द्वारा अनुमोदन के उपरान्त निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं कि विश्वविद्यालय की सत्रांत सैद्धान्तिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के पुनर्मूल्यांकन हेतु वर्तमान में 25 प्रतिशत प्रश्नपत्रों के स्थान पर 50 प्रतिशत प्रश्नपत्रों में पुनर्मूल्यांकन करवाने की व्यवस्था की जाती है ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं ।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

01. सचिव, कुलपति सचिवालय, वमखुवि, कोटा
02. कुलसचिव, वमखुवि, कोटा
03. वित्त नियंत्रक, वमखुवि, कोटा
04. निदेशक, अकादमिक, वमखुवि, कोटा
05. समस्त क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुवि
06. बिल लिपिक, परीक्षा विभाग, वमखुवि, कोटा
07. रक्षित पत्रावली


परीक्षा नियंत्रक